

फैक्ट सीट

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे० में)– जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग

आरक्षित वन भूमि	–	शून्य है०
वन पंचायत	–	0.000 है०
सिविल सोयम भूमि	–	3.150 है०
नाप भूमि	–	4.050 है०
योग	–	3.150 है०

2. प्रस्तावक विभाग का नाम

– पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग।

3. वन प्रभाग का नाम

– रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

4. प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है

– हाँ/नहीं ✓

5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है

– हाँ/नहीं ✓

6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है।

– हाँ/नहीं ✓

7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है।

– हाँ/नहीं ✓

8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है।

– हाँ/नहीं ✓

9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है।

– हाँ/नहीं ✓

10. बॉज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है।

– हाँ/नहीं ✓

11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है

– हाँ/नहीं ✓

12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है।

– हाँ/नहीं ✓

13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है

– हाँ/नहीं ✓

14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ/नहीं
15. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है - हाँ/नहीं
16. प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पडे स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है - हाँ/नहीं
17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - हाँ/नहीं
18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हाँ/नहीं
20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है, तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) - हाँ/नहीं
21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - हाँ/नहीं
22. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दू किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हाँ/नहीं
23. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - हाँ/नहीं
24. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये। - हाँ/नहीं
25. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये है - हाँ/नहीं
26. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाये) - हाँ/नहीं
27. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 हे0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) - हाँ/नहीं

28. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है - हाँ / नहीं

29. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है - हाँ / नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ / नहीं

30. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ / नहीं

31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है - हाँ / नहीं


32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं

33. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हाँ / नहीं


34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हाँ / नहीं

35. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फॉर्म शीट चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है।


कनिष्ठ अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-19.1


परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।


सिविल सोरम वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण


प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 17.01.2013 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की नियमानुसार गणना की गई:-


क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	वानस्पतिक नाम	व्यास वर्ग से० मी० में (गोलाई)										योग	
				0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक		
1	जावरी	बुराश	RohodoDendron	3											3
2	जावरी	मेहल					2								2
3	जावरी	उत्तीस	Alnus Nepalensis												
4	जावरी	बांज	Quercus Leucotrichophora	2	1	28	23	10	4						68
5		काफल				7									7
6	जावरी	अयार				16	2								18
7	जावरी	सीरस													
		चीड			26	36		22	11						95
		Total		5	27	87	27	32	15						193


उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।



 राजेश कुमार
 क्षेत्रीय उपनिरीक्षक
 तहसील...
 जनपद - रुद्रप्रयाग


 वन दरोगा


 उपप्रभागीय वनसंरक्षक
 जखाली उप वन प्रभाग
 रुद्रप्रयाग


 वन क्षेत्राधिकारी
 अगस्त्यमुनि


 तहसील...
 जनपद...


 उप वन संरक्षक
 प्रभागीय वनसंरक्षक
 रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम	:- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	---

परियोजना के निर्माण से भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का सारांश

क्र० सं०	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग से० मी० में (गोलाई)										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	वन पंचायत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	सिविल सोयम	5	27	87	27	32	15	-	-	-	-	193
4	नाप भूमि											
	कुल योग	5	27	87	27	32	15					193

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्र अधिकारी
अगस्त्यमुनि

वन क्षेत्र अधिकारी
नखाडी उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
नखाडी उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

17/11/15
14-1-15

ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

महत्वपूर्ण/फैक्स

संख्या: 3154/पी3-14/यू.आर.आर.डीए/15

दिनांक | 7-जनवरी, 2015

कार्यालय झाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग एवं अल्मोडा की 250-499 तक जनसंख्या की असंयोजित बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु सलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार कुल 09 मार्ग, अनुमानित लम्बाई 76.30 किमी० का चयन किया गया है। इन मार्गों के विस्तृत सर्वेक्षण तथा मार्गों के समरेखण में पड़ने वाली वनभूमि एवं नापभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव तैयार कराकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार व राजस्व विभाग को प्रेषित किये जाने एवं एन०आर०आर०डी०ए०, भारत सरकार के अद्यतन निर्देशानुसार डी०पी०आर० गठन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है। डी०पी०आर० गठित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मार्ग का समरेखण कोर नेटवर्क के अनुरूप हो, यदि समरेखण कोर नेटवर्क के अनुरूप नहीं है, तो सम्बन्धित जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिलाधिकारी एवं मा० सांसद महोदय से समरेखण का सत्यापन तथा सर्वे ऑफ इण्डिया के मानचित्र में मार्ग के समरेखण की स्थिति स्पष्ट करते हुए कोर नेटवर्क संशोधन प्रस्ताव सहित डी०पी०आर० गठित की जाये। तत्पश्चात् इन मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से प्राप्त होने पर पृथक से जारी की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(विनोद फोनिया)
सचिव,

ग्राम्य विकास विभाग

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, कुमाऊँ क्षेत्र, अल्मोडा एवं गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी गढ़वाल।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनभूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, देहरादून।
4. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी, नैनीताल रुद्रप्रयाग एवं अल्मोडा।
5. अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, मसूरी, ज्योलीकोट, गोपेश्वर एवं अल्मोडा।
6. अधिशासी अभियन्ता, पी०आई०यू० (पी०एम०जी०एस०वाई०) लो०नि०वि० उत्तरकाशी, काठगोदाम, रुद्रप्रयाग एवं अल्मोडा-1।

सलग्नक यथोपरि।

दाया प्रति सत्यमि त
esnegi

सचिव,

ग्राम्य विकास विभाग

सहायक अभियन्ता।
सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०)
रुद्रप्रयाग

Proposed Road works under PMGSY

परीक्षा ०

Attachment of G.O. No. _____ Dt. _____

S. No.	Block	Unconnected Target Habitation	Population	Name of Road				Habitations to be Connected
				From	To	Stage-I&II	Approx. Length (km)	
District: Uttarkashi								
1	Dunda	Darmali	262	Pipali	Darmali	I&II	7.65	Gwarai (460), Darmali (262)
District: Nainital								
2	Haldwani	Haripur Jaman Singh	241	Rampur Road	Haripur Jaman Singh	I&II	2.65	Cluster- Haripur Jaman Singh (241) Pandey Newari (197)
District: Rudraprayag								
3	Augustmuni	Jai Kandi	299	Jawari	Jai Kandi	I	9.00	Jai Kandi (299)
District: Almora								
4	Lamgara	Lohana	254	Thuwasimal-Binaula	Kunjara-Lohana	I&II	16.00	Kunjarai (332), Lohana (254)
5	Lamgara	Chaukuna	365	T01 ODR Moenaula-Jainti Km 21	Chaukuna	I	15.00	Sainoli (250), Chaukuna (365)
6	Lamgara	Ranaun	283	T02 MDR 36 Almora-Sharjatak-Chaykhan	Ranaun	I	7.00	Ranaun (283)
7	Dhauladevi	Ghurkuna	300	T01 Almora-Panar M.R. Km 38	Ghurkuna	I	5.00	Gairar Matlai (487), Ghurkuna (300)
8	Dhauladevi	Kanu	401	T01 Almora-Panar M.R. Km 38	Kanu	I	4.00	Kanu (401)
9	Dhauladevi	Munoli	281	T01 Almora-Panar M.R. Km 49	Munoli	I	10.00	Munoli (281)
Total				Road - 09 Nos.			76.30	Habitation (250-499) - 12 Nos. Habitation (<250) - 02 Nos. Total Habitation - 14 Nos.

Chief Engineer &
Dy. Chief Executive Officer,
URRDA

द्वारा प्रति सत्यापित
usuegi

सहायक अभियन्ता II
सिवाई खण्ड (लो०नि०वि०)
रुद्रप्रयाग